जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Upload

यू.ओ.नोट

विषयः—सीलमुक्त भवनो की सूची जेडीए वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रवर्तन शाखा द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा द्वारा डीसीलिंग के संबंध में पारित आदेशों की अनुपालना में सीलमुक्त बिल्डिंग—भवन जिनमें जविप्रा/निर्माणकर्ता द्वारा पूर्ण अवैध निर्माण हटाने पर आयुक्त, जविप्रा से अनुमोदन पश्चात सीलमुक्त भवनो की सूची जेडीए वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः—सीलमुक्त भवन की सूची कुल पृष्ठ—1

16/06/2023

(रघुवीर सैनी)

मुख्य नियंत्रक—प्रवर्तन,

सिस्टम एनालिस्ट
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांकः—जविप्रा/मुनिप्र/2023/डी— 2282 दिनांक 16.06.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैंः—

1. आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. सचिव, जविप्रा, जयपुर।

16/06/2023

(रघुवीर सैनी)

मुख्य नियंत्रक—प्रवर्तन,

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2570640} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {CCEJDA31@gmail.com}

प्रवर्तन शाखा, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सीलमुक्त किये गये भवनो की सूची

दिनांक:16.06.2023

क्र.सं.	जोन	सील किये गये भूखण्ड का पता	सील करने की दिनांक	सील करने के कारण	माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा द्वारा डीसीलिंग के संबंध में पारित आदेश	सीलिंग के पश्चात् की गई विधिसम्मत कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1.	1	भूखण्ड संख्या–03 व 04 दुर्गा विहार, मालवीय नगर, जयपुर	10.06.2021	भूखण्ड संख्या–03 व 04 दुर्गा विहार, मालवीय नगर, जयपुर में दो भूखण्डों को मिलाकर जेडीए से बिना नियमन व एकीकरण करवाये जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलॉज का गंभीर वायलेशन कर एंगल, टीन इत्यादि से बनाये जा रहे वृहद अवैध व्यावसायिक निर्माण – रेस्टोरन्ट के विरूद्ध दिनांक: 07.04.2021 को धारा 32, 33 के नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया गया अवैध निर्माण जारी रखने पर दिनांक: 09.06.2021 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर दिनांक: 10.06.2021 को पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	निर्माणकर्ता द्वारा उक्त भवन को सीलमुक्त करवाने हेतु माननीय अपीलय न्यायालय में अपील संख्या 592/2022 दायर की गई। जिसमें दिनांक: 14.10.2022 को पारित निर्णयानुसार परिसर को 15 दिवस में सीलमुक्त करने; 03 माह तक अवैध निर्माण हटाने हेतु बाध्य रहेगा। 03 माह तक अवैध निर्माण नही हटाने पर जविप्रा कार्यवाही के लिये स्वतत्र रहेगा।	अपील संख्या 592/2022 में पारित निर्णयानुसार उक्त व्यावसासिक भवन को सीलमुक्त किया जाकर आगे अवैध निर्माण नही होने देने बाबत निगरानी हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। निर्माणकर्ता द्वारा भूखण्ड संख्या 03 व 04 पर एंगल, टीन इत्यादि में बनाये जा रहे वृहद अवैध व्यावसायिक निर्माण – रेस्टोरन्ट को स्वयं के स्तर पर हटा–ध्वस्त कर मलबा इत्यादि भी हटा लिया गया हैं। जिसका प्रवर्तन शाखा, तहसीलदार तकनीकी टीम से परीक्षण करवाया जाकर दिनांक: 23.01.2023 को आयुक्त, जविप्रा, जयपुर से अनुमोदन करवाया जा चुका है।	अवैध व्यावसायिक निर्माण– रेस्टोरन्ट को पूर्ण रूप से हटा लिया गया हैं।

16/6/2023
(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन)
ज.वि.प्रा., जयपुर